न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 18 /2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 कन्हैयालाल पुत्र श्री रेखाराम जाति रैगर।

2 श्रीमती शान्ति पुत्री श्री रेखाराम जाति रैगर।

3 श्रीमती किस्तुरी पुत्री श्री रेखाराम जाति रैगर।

4 तनसुखराम पुत्र श्री रेखाराम जाति रैगर।

5 भगवानाराम पुत्र श्री रेखाराम जाति रैगर।

6 श्रीमती मोहनी पुत्री श्री रेखाराम जाति रैगर निवासीगण जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 बिशनलाल पुत्र श्री बलाराम उर्फ बलदेवाराम रैगर।

2 लीलाधर पुत्र श्री बलराम उर्फ बलदेवारा (मृतक के विधिक प्रतिनिधि बावजुद तामील अनुपस्थित) ।

2/1 राधेश्याम पुत्र लीलाधर।

2/2 पोलूराम पुत्र लीलाधर।

2/3 कुन्दन पुत्र लीलाधर।

3 अमरचन्द पुत्र श्री बलाराम उर्फ बलदेवाराम रैगर।

4 लेखराम पुत्र श्री बलाराम उर्फ बलदेवाराम रैगर।

5 पुरूषोतम पुत्र श्री बलाराम उर्फ बलदेवाराम रैगर।
6 श्रीमती आचुकी देवी पत्नी ओमप्रकाश रैगर।
7 राजपाल पुत्र श्री ओमप्रकाश रैगर।
8 प्रमोद पुत्र श्री ओमप्रकाश रैगर।
9 राहुल पुत्र श्री ओमप्रकाश रैगर।
10 श्रीमती मन्जू देवी पत्नी मदनलाल जाति मेघवाल निवासीगण जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।
11 श्रीमती दमयन्ती कंवर तहसीलदार तहसील कार्यालय झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रार्थना बाबत दण्डित किये जाने अप्रार्थीगण
को वास्ते अवमानना करने स्थगन आदेश
एवं धारा 151 जा.दी

अपील संख्या 127/2016

1 कन्हैया लाल पुत्र श्री रेखाराम।
2 श्रीमती शान्ति पुत्री श्री रेखाराम।
3 श्रीमती किस्तुरी पुत्री श्री रेखाराम समस्त जाति रैगर निवासीगण जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू राजस्थान।

अपीलांट

Law

बनाम

1 बिशनलाल पुत्र श्री बलराम उर्फ बलदेवारा।

2 लीलाधर पुत्र श्री बलराम उर्फ बलदेवारा (मृतक के विधिक प्रतिनिधि बावजुद तामील अनुपस्थित) ।

2/1 राधेश्याम पुत्र लीलाधर।

2/2 पोलूराम पुत्र लीलाधर।

2/3 कुन्दन पुत्र लीलाधर।

3 अमरचन्द पुत्र श्री बलराम उर्फ बलदेवारा।

4 लेखरा पुत्र श्री बलराम उर्फ बलदेवारा।

5 पुरूषोतम पुत्र श्री बलराम उर्फ बलदेवारा।

6 श्रीमती आचुकी देवी पत्नी श्री बलराम उर्फ बलदेवारा ।

7 राजपाल पुत्र श्री ओमप्रकाश।

8 प्रमोद पुत्र श्री ओमप्रकाश।

9 राहुल पुत्र श्री ओमप्रकाश।

10 श्रीमती निशा पुत्री श्री ओमप्रकाश समस्त जाति रैगर निवासी जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

11 श्रीमती मन्जु पत्नी मदनलाल जाति मेघवाल निवासी जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

12 तनसुखराम पुत्र श्री रेखाराम।

13 भगवानाराम पुत्र श्री रेखाराम।

14 श्रीमती मोहनी पुत्री श्री रेखाराम समस्त जाति रैगर निवासी जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

15 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 18.04.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी
बिशनलाल बनाम तनसुखराम दावा बाबत घोषणार्थ
विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मु0 नं. 225/2013

अपील संख्या 128/2016

1 तनसुखराम पुत्र श्री रेखाराम।
2 भगवानाराम पुत्र श्री रेखाराम।
3 मोहनी पुत्र रेखाराम समस्त जाति रैगर निवासी जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बिशनलाल आयु 60 वर्ष पुत्र श्री बलाराम उर्फ बलदेवाराम।
2 लीलाधर पुत्र श्री बलराम उर्फ बलदेवारा (मृतक के विधिक प्रतिनिधि बावजुद तामील अनुपस्थित) ।
2/1 राधेश्याम पुत्र लीलाधर।
2/2 पोलूराम पुत्र लीलाधर।

leon

2/3 कुन्दन पुत्र लीलाधर।

3 अमरचन्द आयु 56 वर्ष पुत्र श्री बलाराम उर्फ बलदेवाराम।

4 लेखराम आयु 53 वर्ष पुत्र श्री बलाराम उर्फ बलदेवाराम।

5 पुरूषोत आयु 48 वर्ष पुत्र श्री बलाराम उर्फ बलदेवाराम।

6 आचुकी देवी आयु 45 वर्ष पत्नी ओमप्रकाश।

7 राजपाल आयु 23 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश।

8 प्रमोद आयु 18 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश।

9 राहुल आयु 6 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश।

10 निशा आयु 10 वर्ष पुत्री ओमप्रकाश।

11 मन्जु देवी आयु 40 वर्ष पत्नी मदनलाल।

12 कन्हैयालाल आयु 53 वर्ष पुत्र रेखाराम।

13 शान्ति आयु 56 वर्ष पुत्री रेखाराम।

14 किस्तुरी आयु 48 वर्ष पुत्री रेखाराम समस्त जाति रैगर निवासी जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

15 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.2016
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
झुंझुनू पीठासीन अधिकारी कुमारी सुनिता चौधरी
उनवानी मुकदमा बिशनलाल बनाम तनसुखराम
दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन व स्थाई
निषेधाज्ञा मु. नं. 225/2013

उपस्थित

1. श्री जहीर मोहम्मद अधिवक्ता
2. श्री उम्मेदराज अधिवक्ता
3. श्री राधेश्याम साम्भोरिया अधिवक्ता

—निर्णय—

दिनांकः—25.09.2018

यह दोनों अपीले एवं कन्टेम्पट विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा वाद संख्या 225/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। तीनों में समान पक्षकार होने से तीनों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है निर्णय की प्रति तीनों पत्रावलियों में पृथक—पृथक रखी जावे।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11 ने दावा बाबत घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 12 से 15 के विरूद्व प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में पत्रावली आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. के निस्तारण हेतु लम्बित चल रही थी विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई सीधे ही विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर अपील संख्या 127/2016 एवं 128/2016 अलग—अलग प्रस्तुत की गई है श्री कन्हैयालाल , शान्ति देवी, किस्तुरी , तनसुखराम , भगवानाराम , मोहनी की और से इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 127/2016 में

पारित अस्थाई निषेधाज्ञा की अवमानना पर कन्टेम्पट संख्या 18/2016 पेश हुआ है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी के निस्तारण हेतु लम्बित थी विचारण न्यायालय ने राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो विधि विरूद्व होने से खारिज की जानी योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्त रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मरे हुये व्यक्ति के फिलाफ अपील नही चल सकती है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलांट एवं कायममुकाम का आवेदन खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता ने तर्क दिया कि न्यायालय की अपील संख्या 127/2016 में विवादित भूमि को रहन बय अन्तरण नही करने, राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंध किया गया। दिनांक 27.05.2016 को इस आदेश की प्रति तहसीलदार को दस्ती दे दी गई थी। इसके उपरान्त भी अनावेदक संख्या 1 से 10 ने अनावेदक संख्या 11 के आदेश से मय जाब्ता पुलिस के मौके की स्थिति बदल दी जो न्यायालय की अवमानना है। अत अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अनावेदकगण ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा रहन बय अन्तरण नही करने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश था अनावेदक द्वारा न तो रहन बय अन्तरण किया गया है न ही राजस्व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन किया है प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

Lano

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभपक्ष की बहस पर मनन किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 2 की मृत्यु की सूचना इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 07.11.2017 को कायम मुकाम का आदेश किया है। दिनांक 10.05. 2018 को कायम मुकाम के नोटिस रजिस्टर्ड एडी जारी किये एक माह से अधिक समय होने से तामील पर्याप्त मानी है।

जहां तक विचारण न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. के निस्तारण हेतु लम्बित चल रही थी विचारण न्यायालय ने बिना कोई सुनवाई सीधे ही विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया है जो राजस्थान कोर्ट मेन्युअल के विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

अपील संख्या 127/2016 में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा का अवलोकन किया गया इस में विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति रखने का आदेश नही है अवमानना प्रार्थना पत्र में मौके की स्थिति बदलने का आक्षेप है ऐसी स्थिति में अवमानना प्रार्थना पत्र साबित नही पाया जाता है सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 127/2016 एवं 128/2016 स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के आवेदन 9 नियम 7 का विधिवत निस्तारण कर प्रतिवादीगण से जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विधिक

lam

प्रावधानों की पालना कर गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर